<u>प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 28.08.2020 का कार्यवृत्तः–</u>

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की सूची संलग्न है।

नोडल अधिकारी का नामांकन–

1– बैठक के आरंभ में समिति की पूर्व में आहूत बैठक दिनांक 06.06.2020 के क्रम में जारी कार्यवृत्त में दिये गए निर्णयों के संबंध में समिति को अनुपालन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। यह संज्ञान में लाया गया कि समिति से संबंधित समस्त प्रतिभागी प्रशासनिक विभागों द्वारा विभागीय सचिव/विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को इस समिति की बैठक में प्रतिभाग करने तथा अग्रेतर लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रुप में नामित किये जाने संबंधी अनुपालन आख्या विभागों से प्राप्त नहीं है एवं संबंधित प्रतिभागी प्रशासनिक विभागों द्वारा अभी तक नामांकन अप्राप्त है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गए कि इस संबंध में समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए नोडल अधिकारी आगामी दो सप्ताह में अवश्य नामित कर अवगत करा दिया जाए। **(कार्यवाहीः समिति से संबंधित समस्त प्रशासकीय विभाग)**

2– उपस्थित सदस्यों को अनुश्रवण हेतु विभिन्न बिंदुओं के विषयगत अब तक की गयी प्रगति से भिज्ञ कराया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगरीय निकायों एवं उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तरोत्तर प्रगति के विषय में सचिव/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–शहरी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं व आखिल भारतीय स्तर पर रैंकिंग में राज्य का स्थान 18वें (वर्ष 2018 सर्वेक्षण) स्थान से 7वें (वर्ष 2020 सर्वेक्षण) स्थान तक पहुंचने के विषयगत प्रगति विगत वर्षों में सुनिश्चित हुयी है।

वर्ष 2020 में राज्य द्वारा न केवल स्वच्छ सर्वेक्षण में सम्मानित/पुरस्कृत किये जाने वाले निकायों की संख्या के अनुसार देश में सर्वाधिक पुरस्कृत/सम्मानित किये जाने वाले निकायों वाला राज्य (कुल 20 पुरस्कार) होने की उपलब्धि अर्जित की गयी है, बल्कि मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दिये जाने वाले 12 शीर्ष पुरस्कारों में से 02 पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त होने की भी उपलब्धि अर्जित की गयी है। समिति द्वारा उक्त परिणामों के विषयगत संतोष व्यक्त करते हुये यह विनिश्चित किया गया कि स्वच्छता के मापदंडों पर समस्त निकाय प्रगति करें, इसे सतत रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3–**ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः** प्रगति प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों हेतु प्रदेश की 652 नगर निकायों में से वर्तमान में लगभग 592 निकायों द्वारा ही भूमि उपलब्धता की सूचना अभी तक प्रेषित की गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जिन निकायों में भूमि उपलब्ध होने की सूचना नहीं है, उनके संबंधित जिलाधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के प्रस्तर–12 में वर्णित जिलाधिकारी के कर्तव्यों का संदर्भ देते हुए भूमि की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए तथा संबंधित जिलो की निकायों में राज्य मिशन निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा कलेक्शन एवं परिवहन एवं एम0आर0एफ0 के निर्माण हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के

उपयोगिता प्रमाण पत्र भी यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये जाये। **(कार्यवाहीः सदस्य सचिव समिति)**

4–पर्यावरण विभाग द्वारा बनाये गए पोर्टल www.upecp.in पर जनपदों द्वारा की जा रही प्रगति के विषय में यह अवगत कराया गया कि पेार्टल पर प्रगति आख्या अपलोड किये जाने विषयगत निकाय स्तर पर भी यूजर आई0डी0 व पासवर्ड होना चाहिए। जिसके संबंध में बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के प्रतिनिधि ने यह अवगत कराया कि उक्त के संबंध में समिति को शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। **(कार्यवाहीः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

5–प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016, यथासंशोधित 2018– में वर्णित EPR (Extended Producer Responsibility) के विषयगत की जाने वाली कार्यवाही के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि 35 EPR प्लान नगर विकास विभाग को प्रेषित किये गए है तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के दाने के निर्माताओं की संख्या प्रदेश में लगभग 350 से अधिक है। विचार विमर्श में यह निर्णय लिया गया कि EPR के अनुपालन के विषयगत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराये गए प्लास्टिक रिसाइक्लर्स एवं ग्रैनुअल निर्माताओं के साथ समन्वय करते हुए ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिससे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनित होने वाले अपशिष्ट का पुर्नचक्रण इन निर्माताओं के साथ निकायों द्वारा सम्मिलित तौर पर किया जा सके। समिति द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इन निर्माताओं के कच्चे माल/अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रकार (अपशिष्ट प्लास्टिक की गुणवत्ता/अवस्था जैसे कि श्रेडेड, बेल्ड या किसी अन्य रुप में) के संबंध में भी एक आगणन कर लिया जाए जिससे कि निकायों में जनित होने वाले अपशिष्ट प्लास्टिक का निस्तारण समुचित रुप से किया जा सके। समस्त EPR क्रियान्वयन करने वाले निर्माताओं के साथ स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वेबिनार कर उक्त विषयक प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करायें। वेस्ट प्लास्टिक की संपर्क मार्ग के निर्माण के विषयगत विस्तृत दिशा–निर्देश/SOP लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिफाई की जाये। इसकी आवश्यकता के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को उपरोक्त विषय में कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किये जाने के लिए पत्र प्रेषित किया जाये जिससे कि वेस्ट प्लास्टिक का पुनर्चक्रण अधिकाधिक रूप से सम्पर्क मार्ग निर्माण की परियोजनाओं में सुनिश्चित हो सके। **(कार्यवाहीः राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

6– **उत्तर प्रदेश राज्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली का प्रख्यापन**– उक्त को अधिसूचित कराये जाने विषयक प्रगति के संदर्भ में यह संज्ञान में लाया गया कि नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन हेतु अग्रेजी भाषा में तैयार की गयी नियमावली का हिंदी अनुवाद कर नोटिफिकेशन के पूर्व भाषा विभाग में परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जिसके विधीक्षण का कार्य आगामी 2 सप्ताह में पूर्ण कराते हुए गजट नोटिफिकेशन करा लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि उक्त कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र उक्त नियामावली की अधिसूचना जारी करायी जाये। **(कार्यवाहीः विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, अनु0–5)**

7–**ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्लांटों की स्थापना**– प्रोसेसिंग सुविधा को विकसित करने हेतु राज्य में पूर्व से स्वीकृत ऐसे प्लांट जो भूमि की अनुपलब्धता अथवा निजी ऑपरेटर के साथ विवाद के कारण अधूरे है तथा नवीन प्लांटो के अधिष्ठापन हेतु जिन निकायों का चयन किया गया है के विषयगत प्रगति के संबंध में समिति को यह अवगत कराया गया है कि उक्त प्लांटों के अधिष्ठापन के कार्य हेतु शासनादेश संख्या–2533/नौ–5–20–172सा/2019 दिनांक 17 जुलाई, 2020 द्वारा सी.एण्ड.डी.एस. उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। बैठक में प्रबंध निदेशक जल निगम उत्तर प्रदेश को इस आशय के निर्देश दिये गये कि उपरोक्त प्लांटो के अधिष्ठापन संबंधी आवश्यक कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाये। साथ ही ऐसे ऑपरेटर के साथ लंबित प्लांटों के विषयगत विवाद के संबंध में आगामी कार्यवाही करते हुये उक्त प्लांटों को संचालित करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये। **(कार्यवाहीः राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम एवं निदेशक सी. एण्ड डी. एस.)**

8. **कम्पोस्ट की गुणवत्ता**– ओ.ए. संख्या–606/2018 के संबंध में ओवर साइट कमेटी की बैठक दिनांक 9 जून, 2020 के क्रम में जारी कार्यवृत्त के प्रस्तर–4 में निम्न निर्देश वर्णित हैंः–

"Compost so produced emits foul odour and is of questionable quality. The Committee was of the view that for its use, the UPPCB should consult the Vice Chancellor of Agriculture Universities and find out a way to diminish the foul odour and enhance its fertility".

उक्त के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि विभाग के साथ कार्यवाही किये जाने विषयक समन्वय करने हेतु राज्य मिशन निदेशक –स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाहीः कृषि विभाग एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

9–**निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 का अनुपालन**– समिति को यह अवगत कराया गया कि C&D वेस्ट की नीति का प्रारुप आवास विभाग के अभिमत हेतु प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर आख्या अपेक्षित है। पी0डब्लू0डी0 विभाग के प्रतिनिधि को यह अवगत कराया गया कि C&D वेस्ट से निर्मित निर्माण सामग्री/उत्पाद के सरकारी विभागों में प्रयोग हेतु SOR तैयार कर यथाशीघ्र विभाग से जारी करवाने का कार्य किया जाना आवश्यक है। C&D वेस्ट की प्रगति के क्रम में समिति को यह अवगत कराया गया कि नगर निगम आगरा, नगर निगम कानपुर, नगर निगम प्रयागराज में C&D वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रगतिशील है तथा नगर निगम वाराणसी में इस विषयक प्रगति करते हुये कान्ट्रेक्टर का चयन कर लिया गया है। आवास विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक रू0 11.04 करोड़ का मलबा शुल्क विभिन्न प्राधिकरणों में C&D वेस्ट के प्रबंधन के क्रम में वसूला गया है।

यह भी निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्यो से संबंधित ऐसी संस्थाये (एन.एच.ए.आई., रेलवे, मेट्रो कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, राज्य सेतु निगम, सी. एण्ड डी.एस. एवं विकास प्राधिकरण आदि) जो कि भारी मात्रा (प्रतिदिन 20 टन से अधिक या प्रतिमाह 300 टन से अधिक प्रति परियोजना) में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जनित करती हैं को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्रस्तर–4 (3,4,5) में वर्णित प्राविधानों के

अनुरूप, C&D वेस्ट के प्रसंस्करण का कार्य स्वयं से करना चाहिये, इस विषयगत समस्त संबंधित विभागों/संस्थाओं को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये। **(कार्यवाहीः सदस्य, सचिव समिति)**

10–**औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन**–औद्योगिक विकास विभाग की ओर से समिति की बैठक मे महाप्रबंधक कानपुर, UPSIDA उपस्थित रहे। निर्देश दिया गया कि बैठक में प्रशासनिक विभाग की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाये। राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा समिति के समक्ष यह बिन्दु रखा गया कि जनित होने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों की रिसाइक्लिंग और प्रसंस्करण सुविधा विकसित करने के क्षेत्र में ऐसे उद्योग (रिसाक्लिंग इंडस्ट्री) को प्रोत्साहित करने से संगठित उद्योगं के रूप में रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट के क्षेत्र में अपार औद्योगिक निवेश की संभावना है अतएव उपरोक्त प्रकृति के उद्योग की स्थापना निजी क्षेत्र में की जाये, इसके लिये अन्य सेक्टर्स जैसे कि फूड प्रोसेसिंग/सोलर/पॉवर के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगों को विशेष सुविधा/इन्सेन्टिव दिया जाता है, वैसे ही रिसाइक्लिंग उद्योग को भी स्थापित किये जाने के विषयगत इन्सेन्टिव दिये जाने पर विचार किये जाने पर औद्योगिक नीति अपनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उक्त विषयक प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि समुचित प्रस्ताव औपचारिक रूप से उद्योग विभाग को इस विषयगत प्रेषित किया जाये।

समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गए कि औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले कूड़े के सही आकलन/समुचित निस्तारण/नियत स्थान पर भण्डारण इत्यादि बिंदुओ पर सर्वे कराते हुए औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले कूड़े का समुचित निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित करा लिया जाए। साथ ही इस आशय के भी निर्देश दिये गये कि मा0 एन.जी.टी. में प्रचलित ओ.ए. संख्या– 65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 एवं तत्क्रम में ओवरसाइट कमेटी की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2020 के संदर्भ में अनुपालन विषयक कार्यवाही यूपीपीसीबी एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये। **(कार्यवाही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/औद्योगिक विकास विभाग)**

11–**जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियमावली–** चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु मात्र 18 इकाईयां ही अवस्थित है तथा वर्तमान में अतिरिक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण इकाईयों की आवश्यकता प्रतीत होती है क्योकि जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण इकाईयों की संख्या सीमित होने के कारण इन इकाईयों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जो शुल्क अधिरोपित किया जाता है वह मानकीकृत नहीं है एवं शुल्क में वृद्धि की दरें भी निर्धारित नहीं की जा सकी है, जिसके फलस्वरुप इन निजी सेक्टर की इकाईयों द्वारा विगत वर्षों में मनमाने तरीके से शुल्क वृद्धि अधिरोपित की गयी है। विचार–विमर्श के दौरान प्रदेश में अतिरिक्त इकाईयों के अधिष्ठापन एवं मानकीकृत शुल्क संरचना एवं नियत वृद्धि दर के विषय में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औचित्य पूर्ण प्रस्ताव विचार विमर्श हेतु समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही चिकित्सा विभाग/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

अंत में बैठक समस्त संबंधित को लिये गये निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ समाप्त की गयी।

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–3686/नौ–5–20–418सा/2018
लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग उ0प्र0।
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग उ0प्र0।
11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।
12- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0।
13- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0।
14- राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
15- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
16- आयुक्त, वाणिज्यि एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0।
17- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
18- सदस्य, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
19- निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
20- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
21- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
22- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
23- निदेशक, नीरी, नागपुर।
24- निदेशक, आईआईटीआर लखनऊ।
25- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
26- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव